

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम  
एवं जिला कलक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 56 / 2024 (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. श्री सोहन लाल कोठरी निवासी: कन्याशाला के पास,  
वल्लभनगर, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 12/06/2024



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/56/24/620-21 दिनांक 24.05.2024 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना अप्रमाणित होने से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अप्रमाणित है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में नियत समयावधि में वांछित सूचनाएँ आवेदन पत्र में वर्णितानुसार उपलब्ध करावे एवं अपील में भी नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि.  
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर